जयपुर विका   ग, जयपुर।

6/35

क्रमांक : एफ–31(30)आर.टी.आई./विविध /12/डी– 1614   दिनांक : 26.4.12

आदेश

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण में प्राप्त आवेदन पत्रों का प्राधिकरण के विभिन्न प्रशासनिक एककों के लिए पदाभिहित राज्य लोक सूचना अधिकारियों द्वारा अधिनियम में विहित समयावधि में निस्तारण हेतु आदेश क्रमांक डी–3126 दिनांक 10.06.2009, डी–4017 दिनांक 11.06.2010, डी–196 दिनांक 12.01.2011, डी–3837 दिनांक 16.09.2011 व डी–527 दिनांक 06.02.2012 के द्वारा प्रक्रिया निर्धारित कर सामान्य निर्देश जारी किये हुए हैं। संविधिक प्रावधानों की शब्दशः अनुपालना सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ पूर्व निर्धारित प्रक्रिया व निर्देशों की निरन्तरता में जविप्रा अधिनियम 1982 की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा प्राप्त शक्तियों के प्रयोग में निर्देशित किया जाता है कि :–

1. प्राधिकरण के प्रत्येक राज्य लोक सूचना अधिकारी अपने कार्यालय में उक्त अधिनियम के तहत धारा 6(1) के अनुरोध पत्र, धारा 19(1) में प्राप्त प्रथम अपील प्रार्थना पत्र व धारा 18(1) में प्राप्त होने वाले परिवाद और 19(3) में प्राप्त होने वाले द्वितीय अपील प्रार्थना पत्रों का एक रजिस्टर तथा कम्प्यूटर में संलग्न प्रारूप अनुसार इन्द्राज दर्ज कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
2. जयपुर विकास आयुक्त/सचिव द्वारा प्रत्येक माह की पाक्षिक बैठकों में सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा गत माह में प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर की गई कार्यवाही से संबंधित प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की जायेगी।
3. प्रत्येक राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी सूचना प्राप्त करने वाले इच्छुक व्यक्ति को, जहॉं ऐसा अनुरोध लिखित रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता हो, ऐसे मौखिक रूप से किये जाने अनुरोध को लेखबद्ध करने के लिए सभी युक्तियुक्त सहायता प्रदान करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
4. राज्य लोक सूचना अधिकारी, अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले अनुरोध पर धारा 7(1) में विहित समयावधि में पारित विनिश्चय से अनुरोधकर्ता को सूचित करेंगे एवं यह तथ्य भी स्पष्ट रूप से अंकित करेंगे कि प्रेषित की गई सूचना से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में धारा 19(1) के अध्यधीन सचिव, जविप्रा एवं प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की जा सकती है।

...................2

5. अधिनियम की धारा 6(1) में प्राप्त अनुरोध पत्रों पर निर्धारित समयावधि 30 दिवस पश्चात प्रथम अपील प्रस्तुत होने पर प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष सुनवाई तिथि तक भी अनुरोधकर्ता को अधिनियम की धारा 7(1) में पारित विनिश्चय से सूचित नहीं किये जाने की स्थिति में ऐसे जिम्मेदार कार्मिक/अधिकारी के सम्पूर्ण विवरण सहित संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा व्यक्तिशः प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

उक्त निर्देशों की शब्दशः अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी और उक्त संदर्भ में राज्य लोक सूचना अधिकारियों के स्तर पर सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के उपबन्धों के संबंध में किसी प्रकार की अनभिज्ञता अक्षम्य होगी एवं इस प्रकार के प्रकरणों में संबंधित प्रकोष्ठ के राज्य लोक सूचना अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

यह आदेश आयुक्त जविप्रा से पुष्ट है।

संलग्न :- आर.टी.आई. में प्राप्त आवेदनों
के रिकॉर्ड के संधारण का प्रारूप।

सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निजी सचिव, उप महानिरीक्षक पुलिस, जविप्रा, जयपुर।
4. निदेशक (वित्त/विधि/आयोजना/अभियान्त्रिकी/परियोजना), जविप्रा, जयपुर।
5. अति. आयुक्त (पूर्व/भूमि/पुनर्वास), जविप्रा, जयपुर।
6. मुख्य नियन्त्रक (प्रवर्तन), जविप्रा, जयपुर।
7. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय/सिस्टम मैनेजमेन्ट), जविप्रा, जयपुर।
8. लोक सूचना अधिकारी, ..., जविप्रा, जयपुर।

संयुक्त आयुक्त
(आर.एम.एण्ड सी.)